

डिग्री बमुकदमें ईबतदाई  
 अ. आदेश 20 नियम 6-7 व्या.प्रक्रियां संहिता  
 न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, टिब्बी  
 पीठासीन अधिकारी-मीनू वर्मा आर.ए.एस.  
 प्रकरण संख्या:-221/2019

1. पवनदीप सिंह पुत्र गुरतेजसिंह जाति जटसिख निवासी मल्लड़खेड़ा तहसील टिब्बी  
 जिला हनुमानगढ। वादी

बनाम्

<ol style="list-style-type: none"> <li>1. गुरतेजसिंह</li> <li>2. गुरदीपसिंह</li> <li>3. सुखमन्द्रसिंह</li> <li>4. अमनदीप सिंह पुत्र गुरदीपसिंह</li> <li>5. अन्तरजीतसिंह पुत्र सुखमन्द्रसिंह</li> <li>6. सन्दीपकौर पत्नी सुखमन्द्रसिंह</li> <li>7. सुखपालकौर पत्नी गुरदीपसिंह</li> <li>8. परमजीत कौर पत्नी गुरतेजसिंह</li> <li>9. वीरपाल कौर पत्नी अन्तरजीत सिंह</li> </ol>	}	पि० रणजीत सिंह जाति जटसिख निवासी मल्लड़खेड़ा तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।
--	---	--

प्रतिवादीगण

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ मीनू वर्मा आर.ए.एस.के समक्ष वास्ते इनफिसाल कतई रोबरू हमारे बहाजरी श्री सुभाषचन्द्र गर्ग वकील वादी मिन जामिन मुदई श्री महावीरप्रसाद वर्मा प्रतिवादीगण मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुकम दिया जाता है व डिग्री दी जाती है कि क.वादी पवनदीपसिंह को चकनं० 11 एम.के.एस के प०न० 185/229 मु० 15 किलानं० 21 ता 24, 25/1/.228, 25/2/.025 है० गै०मु० रास्ता, प०न० 186/229 मु० 16 किलानं० 21 ता 23, प०न० 185/230 मु० 17 किलानं० 2/.253 है०, ख.प्रतिवादी सं० 1 गुरतेजसिंह व प्रतिवादीसं० 8 परमजीतकौर को प्राप्त ब०हि०ब० चकनं० 11 एम.के.एस के प०न० 185/229 मु० 15 किलानं० 1/1/.228, 1/2/.025 गै०मु० खाला, 10,11,12, 16/1/.228, 16/2/.025 है० गै०मु० रास्ता, 17 ता 20, प०न० 186/229 मु० 16 किलानं० 19,20 व चकनं० 11 एम.के.एस के खाता सं० 104/109 में कुल अंकित 1.487 है०, ग.प्रतिवादीसं० 2 गुरदीपसिंह व प्रतिवादी सं० 7 सुखपालकौर ब०हि०ब० चकनं० 11 एम.के.एस के प०न० 182/228 मु० 9 किलानं० 6/.139, 7/.089, 8/.013, 11/.164, 12/.228, 13 ता 25, प०न० 181/228 मु० 10 किलानं० 15/.114, 16,25 घ.प्रतिवादी सं० 3 सुखमन्द्रसिंह व प्रतिवादी सं० 6 सन्दीप कौर को ब०हि०ब० चकनं० 11 एम.के.एस के प०न० 184/228 मु० 7 किलानं० 15/1/.228, 15/2/.025 है० खाला, 16/1/.228, 16/2/.025 है० गै०मु० खाला, 17 ता 24, 25/1/.228, 25/2/.025 है० खाला, प०न० 183/228 मु० 8 किलानं० 11,20,22.ङ.प्रतिवादीसं० 4 अमनदीपसिंह को चकनं० 11 एम.के.एस के प०न० 182/229 मु० 12 किलानं० 1/1/.228, 1/2/.025 है० गै.मु. खाला, 2/1/.228, 2/2/.025 है० गै.मु. खाला, 3/1/.228, 3/2/.025 है० गै.मु.खाला, 4/1/.228, 4/2/.025 है० गै.मु. खाला, 5/1/.228, 5/2/.025 है० गै.मु. खाला, 8,9,13, प०न० 183/229 मु० 13 किलानं० 1/1/.228, 1/2/.025 है० गै०मु० खाला, च.प्रतिवादीसं० 5 अन्तरजीतसिंह व प्रतिवादीसं० 9 वीरपालकौर ब०हि०ब० चकनं० 11 एम.के.एस के प०न० 184/229 मु० 14 किलानं० 1/1/.228, 1/2/.025 है० गै.मु. खाला, 2/1/.228, 2/2/.025 है० गै.मु. खाला, 3/1/.228, 3/2/.025 है० गै.मु. खाला, 4/1/.228, 4/2/.025 है० गै.मु. खाला, 5/1/.202, 5/2/.051 है० गै.मु.

उपखण्ड अधिकारी एवं  
 पदेन सहायक कलेक्टर  
 टिब्बी

खाला, 6/1/.228, 6/2/.025 गै0मु0 खाला, 7,8,12,13,14,15/1/.228, 15/2/.025 है0 गै0मु0 खाला, 19 छ.वादी पवनदीपसिंह, प्रतिवादीसं0 4 अननदीपसिंह, प्रतिवादीसं0 5 अन्तरजीतसिंह ब0हि0ब0 चकनं0 10 एम.के.एस ए के खाता सं0 30/21 में .316 है0 के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाकर चकनं0 11 एम.के.एस के खाता सं0 106/110 में से गुरतेजसिंह, गुरदीपसिंह व सुखमन्दरसिंह कानाम कलमजन व इसी चक के खाता सं0 105/112 में से गुरतेजसिंह, गुरदीपसिंह, सुखमन्दर सिंह का हिस्सा कम व इसी चक के खाता 23/108 में से गुरतेजसिंह का हिस्सा कम, इसी चक के खाता सं0 21/21 में से गुरतेजसिंह का हिस्सा कम, चकनं0 10 एम.के.एस ए के खाता सं0 30/21 में से गुरतेजसिंह का नाम कलमजन व चक नं0 11 एम.के.एस के खाता सं0 24/23 में से गुरदीपसिंह का हिस्सा कम, इसी चक के खाता सं0 107/11 में से सुखमन्द्र सिंह का हिस्सा कम, इसी चक के खाता सं0 3/4 में से अन्तरजीत सिंह, अननदीप, पवनदीप का नाम कलमजन, इसी चक के खाता सं0 4 में से अन्तरजीतसिंह, अननदीप, पवनदीप का नाम कलमजन, इसी चक के खाता सं0 104/109 में से अन्तरजीतसिंह, अननदीपसिंह, गुरदीपसिंह, पवनदीप सिंह, सुखमन्दर सिंह का नाम कलमजन किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। इसी अनुसार राजस्व अभिलेख में अंकन किया जावे। उक्त आराजी पर बैंक ऋण की स्थिति रहन मुक्त होने के पश्चात् राजस्व रिकार्ड में हल दरामद किया जावे।

निज.....निल.....मुब्लिक.....निल.....बाबत.....निल.....खर्चा  
मुकदमें के मय शुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तक .....  
.....अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक..... 3-9-19 ..... को जारी किया गया।



(मीनू वर्मा)  
उपखण्ड अधिकारी एवं  
सहायक कलक्टर एवं  
उपखण्ड अधिकारी, टिब्बी